"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2017 — आषाढ़ 16, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-10/2017/नौ/55-4. —राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में अप्रवासी भारतीय नियतांश के संदर्भ में पी. ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2005) 6 एससीसी 537 के प्रकरण में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, जिसमें निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों (पीपीसी) में अप्रवासी भारतीय नियतांश हेतु विहित नियमों को अनिवार्य किया गया है, के अनुपालन में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं विस्तार :-** (1) ये नियम निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों में अप्रवासी भारतीय नियतांश नियम, 2017 कहलायेंगे.
   (2) ये नियम 04-07-2017 से प्रवृत्त होंगे.
   (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

2. **प्रयोज्यता :-** ये नियम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अनुमति के पश्चात् खोले गये समस्त निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों (पीपीसी) पर लागू होंगे.

3. **परिभाषाएं :-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
   (क) **"अप्रवासी भारतीय (संक्षेप में एन.आर.आई.)"** का वही अर्थ होगा जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी विधियों/नियमों/अधिसूचनाओं/आदेशों में परिभाषित/घोषित किया गया है.
   (ख) **"निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (संक्षेप में पी.पी.सी.)"** से अभिप्रेत है चिकित्सा/दंत/निर्सिंग/फि जियोथेरेपी या जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, जिसका संचालन निजी प्रबंधन/कंपनी/न्यास/निकाय द्वारा किया जाता हों तथा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर से संबद्ध हो.
   (ग) **"आरक्षण निति"** से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और महिलाओं हेतु समय-समय पर राज्य सरकार की आरक्षण नीति.

4. **अप्रवासी भारतीयों का निजी व्यावसायिक महाविद्यालयों (पी.पी.सी.) में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान.**—

(1) प्रत्येक निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (पी.पी.सी.), कुल सीटों के 15% सीटों को अप्रवासी भारतीयों (एन. आर. आई.) द्वारा एन. आर. आई. श्रेणी के बीच से उनके मेरिट के आधार पर भर सकेगा।

(2) गणना के पश्चात् अपूर्णांक को संबंधित निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (पी.पी.सी.) के पक्ष में अगले उच्चतर अंक को पूर्णांकित किया जायेगा।

(3) एन. आर. आई. श्रेणी से प्रवेशित विद्यार्थियों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना होगा।

(4) प्रत्येक निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (पी.पी.सी.), इस आशय की अग्रिम सूचना वेबसाइट एवं अन्य लोकप्रिय साधनों के माध्यम से घोषित करेगा।

(5) राज्य की आरक्षण नीति भी लागू होगी।

(6) प्रत्येक निजी व्यावसायिक महाविद्यालय (पी.पी.सी.), प्रवेश की अंतिम तिथि के 10 दिवस के पूर्व एन. आर. आई. नियतांश में विद्यार्थियों को प्रवेश देगा जो कि एन. आर. आई. श्रेणी हेतु अंतिम तिथि होगी। इस अंतिम तिथि के पश्चात् सीटों को रिक्त घोषित किया जायेगा और मुक्त श्रेणी के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

5. **कठिनाइयों का निराकरण.**— इन नियमों के निष्पादन में कोई कठिनाई उद्भूत होने की दशा में, मामले को संचालक, चिकित्सा शिक्षा को निर्दिष्ट किया जायेगा जो छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के अनुमोदन के पश्चात् प्रकरण का निर्णय करेगा। संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा (डी. एम. ई.) का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 3 जुलाई 2017

क्रमांक एफ 21-10/2017/नौ/55-4.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3-7-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टण्डन, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 3rd July 2017

No. F-21-10/2017/Nine/55-4.—The State Government hereby makes the following Rules for the admission into Government and Private Nursing College of the State :-

NOTIFICATION

In pursuance of the order of the Hon'ble Supreme court of India in the case of P.A. Inamdar v. State of Maharashtra, (2005) 6 SCC 537, which mandated to prescribe rules for fixing Non-Resident Indian quota in Private Professional Colleges (PPC), State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

1. **Short title, commencement and extent.** – (1) These rules may be called the Chhattisgarh Non-Resident Indian Quota in Private Professional Colleges Rules, 2017.
   (2) It shall come into force 4/7/2017 (Date)
   (3) It shall extend to the whole of State of Chhattisgarh.

2. **Applicability.** – These rules shall apply to the all the Private Professional Colleges (PPC) opened after permission by the Department of Health and Family Welfare, Government of Chhattisgarh.

3. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) **"Non-Resident Indian (in short N.R.I.)"** shall have the same meaning as defined/declared in Laws/Rules/ Notification/Orders issued by the Central Government;

(b) **"Private Professional College (in short P.P.C.)"** means Medical/Dental/ Nursing/ Physiotherapy or by whatever name called, run by a private management/company/trust/body and affiliated to Pt. Deen Dayal Upadhyah Memorial Health Sciences Ayush University, Raipur;

(c) **"Reservation Policy"** means the reservation policy of the State Government for Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Other-Backward Classes and Women, from time to time.

4. Special provision for admission in private professional college (PPC) of non-resident Indians.-

(1) Each Private Professional College (PPC) may fill 15% seats of the total seats by Non-Resident Indian (NRI) on basis of their merit amongst NRI category.

(2) Fraction after calculation shall be rounded off to the next higher numeral in the favor of the concerned Private Professional College (PPC).

(3) Student admitted against NRI category shall have to pay in foreign currency.

(4) Each Private Professional College (PPC) shall declare in advance in website and other publicity means to this effect.

(5) Reservation policy of the State shall also be applicable.

(6) Each Private Professional College (PPC) shall admit the student in NRI quota before 10 days of the last date of admission, which is closing date for NRI category. After this closing date the seats will be declared empty and shall be converted as open category.

5. Removal of difficulties. - In case any difficulty arises in executing these rules, the matter shall be referred to Director, Medical Education who shall decide the case after approval by Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Health and Family Welfare. The Decision of Directorate of Medical Education (DME) shall be final and binding.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. TANDAN, Additional Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.